न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/00047

1. दयाराम आत्मज श्री जगन्नाथ जाति बैरवा ।
2. रामपाल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासीगण बार्ड नं0 20 गुमानपुरा इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मदनलाल आत्मज श्री रघुनाथ जाति बैरवा ।
2. केशर पुत्री श्री रघुनाथ जाति बैरवा ।
3. द्वारिका पुत्री श्री रघुनाथ जाति बैरवा ।
4. हरिओम पुत्र श्री बृज मोहन जाति बैरवा ।
5. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री बृजमोहन जाति बैरवा ।
6. आरती पुत्री श्री बृजमोहन जाति बैरवा ।
7. ममता पुत्री श्री बृजमोहन जाति बैरवा ।
8. निर्मला पुत्री श्री बृजमोहन जाति बैरवा निवासीगण वार्ड नं0 20 गुमानुपरा इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
9. बृजराज पुत्र श्री मथुरा लाल जाति बैरवा ।
10. गिरिराज पुत्र श्री मथुरा लाल जाति बैरवा ।
11. पप्पू पुत्र श्री मथुरा लाल जाति बैरवा निवासीगण ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
12. हंसराज आत्मज श्री लटूर लाल जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 20 गुमानपुरा इटावा पीपल्दा जिला कोटा ।
13. दी स्टेट ऑफ राजस्थान ।

---रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 2021/00048

1. दयाराम आत्मज श्री जगन्नाथ जाति बैरवा ।
2. रामपाल आत्मज श्री जगन्नाथ जाति बैरवा निवासीगण बार्ड नं0 20 गुमानपुरा इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मदनलाल आत्मज श्री रघुनाथ जाति बैरवा ।
2. केशर पुत्री श्री रघुनाथ जाति बैरवा ।

3. द्वारिका पुत्री श्री रघुनाथ जाति बैरवा ।
4. हरिओम पुत्र श्री बृज मोहन जाति बैरवा ।
5. श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री बृजमोहन जाति बैरवा ।
6. आरती पुत्री श्री बृजमोहन जाति बैरवा ।
7. ममता पुत्री श्री बृजमोहन जाति बैरवा ।
8. निर्मला पुत्री श्री बृजमोहन जाति बैरवा निवासीगण वार्ड नं0 20 गुमानुपरा इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
9. बृजराज पुत्र श्री मथुरा लाल जाति बैरवा ।
10. गिरिराज पुत्र श्री मथुरा लाल जाति बैरवा ।
11. पप्पू पुत्र श्री मथुरा लाल जाति बैरवा निवासीगण ग्राम प्रेमपुरा तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
12. हंसराज आत्मज श्री लटूर लाल जाति बैरवा निवासी वार्ड नं0 20 गुमानपुरा इटावा पीपल्दा जिला कोटा ।
13. दी स्टेट ऑफ राजस्थान ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांक: 16.08.2021

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.012.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही वादग्रस्त आराजी से सम्बन्धित होने से उक्त दोनों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय की प्रति अलग– अलग पत्रावली में संलग्न की जावे ।

3. अपील संख्या 2021/00047 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 15/2017 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा जिला कोटा में खाता संख्या 694 में खसरा नम्बर 1656 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि स्थित है । सेटलमेंट से पूर्व ग्राम इटावा के माल में खसरा नम्बर 1045 रकबा 05 बीघा 03 बिस्वा भूमि चारागाह के रूप में दर्ज थी । बाद बन्दोबस्त उक्त भूमि के नवीन खसरा नम्बर 1654 रकबा 0.06 हैक्टर, खसरा नम्बर 1655 रकबा 1655 व खसरा नम्बर 1656 रकबा 0.12 हैक्टर कायम

किये गये । अप्रार्थी कम 1 लगायत 9 के पूर्व पुरूष श्री रघुनाथ पुत्र गोपीलाल द्वारा सेटलमेंट कार्मिकों से मिली भगत कर खसरा नम्बर 1656 रकबा 0.12 हैक्टर अवैध एवं अनाधिकृत तरीके से स्वयं के खाते में दर्ज करवा ली जबकि भू–प्रबन्ध विभाग को इस प्रकार का इन्द्राज करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है । उक्त भूमि राजकीय दर्ज होने से तत्कालीन काबिज आसामी भीमराज व जोधराज द्वारा दिनांक 26.04.1987 को प्रार्थी कम 01 की को विकय कर कब्जा संभला दिया गया था तब से ही उक्त भूमि पर प्रार्थी कम 01 की सहमति से प्रार्थी कम 02 उपयोग एवं उपभोग करते हुए चले आ रहे हैं । रघुनाथ द्वारा राजस्व रिकॉर्ड का अनुचित लाभ उठाते हुए प्रार्थी कम 01 के विरूद्ध बेदखली हेतु उपखण्ड अधिकारी के समक्ष वाद प्रस्तुत किया जो दिनांक 15.09.2004 को खारिज हो चुका है । उक्त वाद को खारिज हुए लगभग 12 वर्ष से भी अधिक का समय हो गया है । इस प्रकार अप्रार्थीगण का कब्जा प्राप्त करने का अधिकार भी समाप्त हो चुका है एवं धारा 63 (1) (4) राजस्थान काश्कारी अधिनियम के अधीन अप्रार्थी कम 1 लगायत 9 की खातेदारी समाप्त हो चुकी है । प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर पिछले 30 वर्षों से शांतिपूर्वक कब्जा काश्त चला आने वे उक्त भूमि पर कब्जा मुखालाफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हो गये हैं । प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी पर अप्रार्थीगण को दखलन्दाजी नहीं करने हेतु जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करावें ।

4. अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी के पक्ष में अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

5. अपील संख्या 2021/00048 में प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट कम 1 लगायत 09 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया । उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र संख्या 39/2020 अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम इटावा तहसील पीपल्दा तहसील पीपल्दा की खाता संख्या 745 नया में खसरा नम्बर 1656 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि में प्रार्थी कम 1 लगायत 4 का 1/5 हिस्सा व प्रार्थीगण कम 5 लगायत 09 का 1/25 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । उक्त भूमि प्रार्थीगण को अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है । प्रार्थीगण कम 1 लगायत 4 के पिता व 5 लगायत 9 के दादा रघुनाथ पुत्र गोपीलाल बैरवा द्वारा दिनांक 11.09.1992 को वर्णित आराजी की पैमाईश तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा करवायी गई थी जिसमें पटवारी रिपोर्ट में आलेखित किया गया था । पटवारी हल्का मौके पर जाकर खसरा नम्बर 1656 रकबा 0.12 हैक्टर की पैमाईश की गई जिसमें पाया गया कि खसरा नम्बर 1656 रकबा 0.12 हैक्टर पर अप्रार्थी कम 01 द्वारा अवैध रूप से नाजायज कब्जा कर रखा है । इसके उपरान्त कब्जेधारियों के विरूद्ध धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी कोटा के समक्ष पेश किया जो दिनांक 31.07.1999 को डिकी किया गया और वादग्रस्त आराजी से अप्रार्थीगण को बेदखल किया गया । अप्रार्थीगण आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति हैं जो आये दिन अनाधिकृत रूप से कृषि भूमियों पर कब्जा करते रहते हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है ।

6. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि उक्त भूमि खसरा नम्बर 1656 रकबा 0.12 हैक्टर भूमि को अप्रार्थीगण ताफैसला वाद अप्रार्थीगण खुर्द–बुर्द नहीं करे किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करे उक्त भूमि को अपनी भूमि बताकर दीगर व्यक्ति को बेचान, रहन नहीं करे । वादग्रस्त आराजी की यथास्थिति बनाये रखें ।

7. अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

8. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 18.02.2021 के द्वारा दोनों प्रार्थना पत्रों को समेकित करते हुए प्रार्थना पत्र संख्या 15/2017 में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को विड्रो किया गया और प्रार्थना पत्र संख्या 39/2020 में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म किया गया।

9. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2021 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में दोनों अपीलें प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें ।

10. दोनों अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. दोनों अपीलो में अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि ग्राम इटावा में खसरा नम्बर 1656 की 0.12 हैक्टर आराजी स्थित है । सेटलमेंट से पूर्व सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1045 रकबा 05 बीघा 02 बिस्वा के एक भाग को रेस्पोडेन्टगण के पूर्व हक अधिकारी रघुनाथ ने अपने खाते दर्ज करवा लिया था। आराजी पूर्व काबिज व्यक्ति भीमराज एवं जोधराज ने दिनांक 24.06.1987 को वादी अपीलान्ट क्रम 01 दयाराम को विक्रय कर दिया था । वादी अपीलान्ट दयाराम एवं रामपाल इस आराजी पर मकान बनाकर चारों तरफ बाण्उड्रीबाल बनाकर निवास कर रहे हैं । प्रतिवादीगण के पूर्व हक अधिकारी रघुनाथ ने धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत एक दावा अपीलान्ट के खिलाफ पेश किया था जो दिनांक 31.07.1999 को डिक्री हुआ । इस निर्णय के खिलाफ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के यहॉ अपील पेश की गई जिसको स्वीकार कर प्रकरण को रिमाण्ड किया गया और दावा दिनांक 15.09.2004 को खारिज किया गया । प्रतिवादीगण ने इस तथ्य को छुपाकर सिविल जज के समक्ष एक दावा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए पेश किया और अस्थायी निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया जिसको सिविल न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया । उसकी प्रथम अपील दीवानी न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी है । वादी अपीलान्ट ने प्रतिवादीगण एवं सरकार के विरूद्ध हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का दावा पेश किया जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा का एक प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया । दावे एवं प्रार्थना पत्र में उपस्थित होने के बावजूद प्रतिवादीगण ने एक नया दावा स्थायी निषेधाज्ञा के लिए अपीलान्ट के खिलाफ दिनांक 02.12.2020 को पेश किया जिसमें स्थगन प्रार्थना पत्र भी पेश किया जिसका जवाब अपीलान्टगण ने पेश किया । दिनांक — 25.01.2021 को प्रकरण में

दिनांक 16.02.2021 की तारीख देने के बाद बहस सुनना दर्ज कर दिनांक 16.02.2021 की तारीख आदेश के लिए नियत कर दी जबकि दोनों दावे में पक्षकार, वादकारण एवं अनुतोष समान नहीं थे । दोनों दावों को समेकित कर दिनांक 18.02.2021 को वादी रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र संख्या 36/2020 में अपीलान्ट के खिलाफ जारी एकपक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया और अपीलान्ट के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में अस्थायी निषेधाज्ञा को विड्रो कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पक्ष में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को वेकेट करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेन्ट का कब्जा मानकर त्रुटि की है । वादग्रस्त आराजी दयाराम ने 1987 में क्रय की थी और अपीलान्ट का शांतिपूर्ण कब्जा वादग्रस्त आराजी पर चला आ रहा है । अपीलान्ट के खिलाफ बेदखली का दावा अंतिम रूप से खारिज हो चुका है । आराजी को सेटलमेंट से त्रुटिपूर्ण से रेस्पोडेन्ट के पूर्व हकधारी ने अपने नाम दर्ज करवा लिया था । वादी अपीलान्ट के द्वारा पेश किये गये दावे में जवाब प्राप्त किये बिना पूर्व दावा पश्चातवर्ती दावे के साथ समेकित करने का निर्णय किया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट 2021/00047 एवं 2021/00048 स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2021 निरस्त फरमाये जावें ।

12. दोनों अपीलों में रेस्पोडेन्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट के खाते की है जो प्रार्थीगण को पूर्व में विरासत में प्राप्त हुई है । आराजी पर अप्रार्थी क्रम 01 ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा था । पूर्व में प्रकरण संख्या 72/93 की डिक्री से अप्रार्थीगण को बेदखल किया गया था वो ताकत के बल पर उस पर निर्माण करने पर आमादा है । अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थना पत्र प्रार्थी रेस्पोडेन्ट स्वीकार किया है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2021 बहाल रखा जावे ।

13. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । परीक्षण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र मदन लाल रेस्पोडेन्टगण के द्वारा अपीलान्टगण के खिलाफ पेश किया गया है । यह प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2020 को पेश किया गया है । आदेशिका दिनांक 11.01.2021 के अनुसार पत्रावली अप्रार्थी क्रम 03 के जवाब एवं शेष की तलबी में लम्बित थी और बिना अप्रार्थी क्रम 03 का जवाब लिये और शेष की तलबी किये दिनांक 25.01.2021 को बहस सुनी गई और दिनांक 18.02.2021 की आदेशिका के अनुसार इस प्रकरण के साथ दूसरे प्रकरण संख्या 25/17 और प्रार्थना पत्र 15/17 को समेकित किया गया और अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 02.12.2020 को कन्फर्म किया गया है । विधिक रूप से पुराने दावे के साथ नये दावे को समेकित किया जाना अपेक्षित होता है । दूसरे प्रकरण में अपीलान्टगण के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया है । दिनांक 25.01.2021 की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 5 की ओर से अण्डर टेकिंग दी गई है । शेष की तलबी में दिनांक 16.02.2021 की तारीख दी गई थी और पुनःश्चय करके बहस सुना जाना अंकित किया गया है और दिनांक 16.02.2021 की तारीख दी गई है । दिनांक 16.02.2021 की आदेशिका में समेकित करने का आदेश दिया गया है । अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.02.2021 को पारित किया गया है परन्तु इसका कोई हवाला

आदेशिका में नहीं दिया गया है । प्रार्थना पत्र पर जवाब लेने के उपरान्त बहस सुनी जाकर ही निर्णय पारित किया जा सकता है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट संख्या 2021/00047 एवं अपील संख्या 2021/00048 दोनों ही आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.02.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण संख्या 15/17 एवं 39/20 दोनों में समस्त अप्रार्थीगण को तलब कर उनसे जवाब प्रार्थना पत्र प्राप्त कर उभयपक्षीय बहस सुनी जाकर विधि सम्मत रूप से नये सिरे से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 04.10.2021 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 16.08.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

16/8/2021

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा